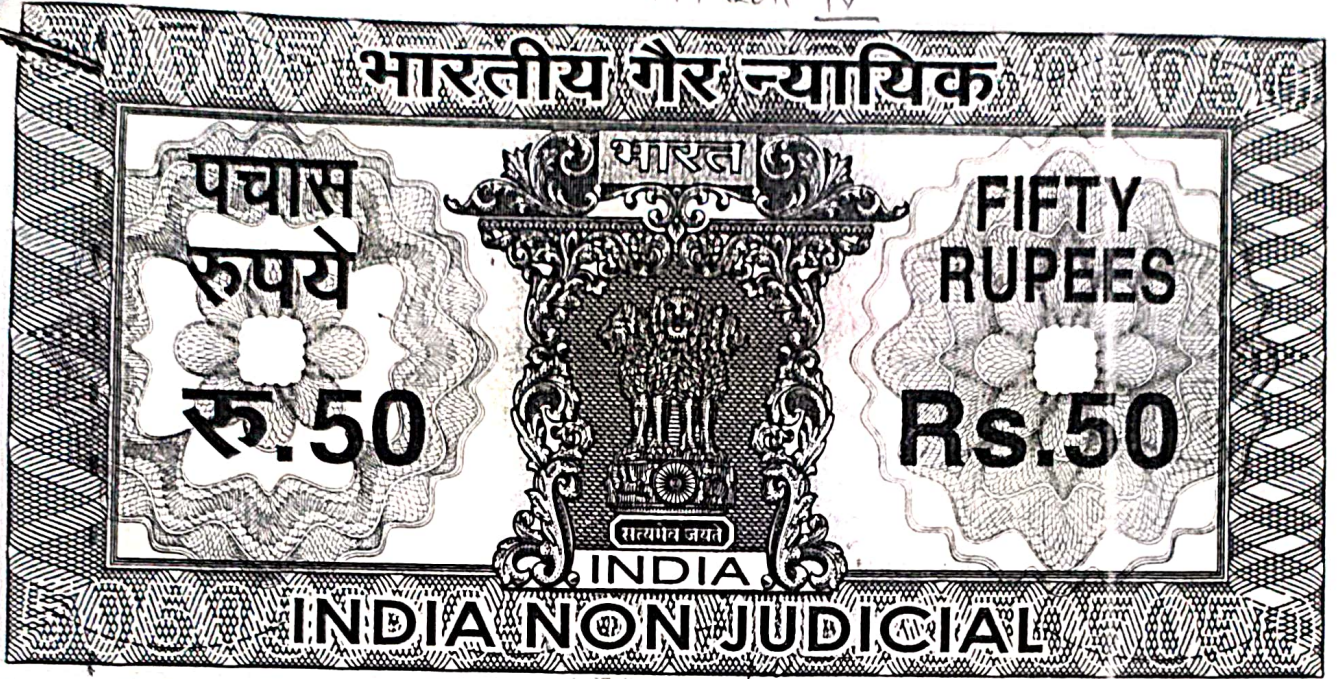


491 2011 TV



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 270747



दस्तावेज (ट्रस्ट न्यास)

मैं राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व० श्री-वृजमोहन सिंह ग्राम-चौकीखुर्द पोस्ट-किशुनदासपुर, तहसील-मछलीशहर जनपद-जौनपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व० श्री-वृजमोहन सिंह, स्टर्लिंग एजुकेशनल ट्रस्ट मीरगंज जौनपुर ट्रस्ट, पता- ग्राम- ग्राम-चौकीखुर्द पोस्ट-किशुनदासपुर, तहसील-मछलीशहर जनपद-जौनपुर उत्तर प्रदेश के नाम से एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा करता हूँ एवं ट्रस्ट का दस्तावेज अपने हस्ताक्षरों से रजिस्टर्ड कराने हेतु ट्रस्ट डीड प्रस्तुत करता हूँ।

- 2- ट्रस्ट न्यास की विधिक प्रतिबद्धता- स्टर्लिंग एजुकेशनल ट्रस्ट मीरगंज जौनपुर ट्रस्ट, एक्ट 1882 के अन्तर्गत गठित एवं रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इस ट्रस्ट पर इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के समस्त नियम/उपनियम लागू होने जो इस ट्रस्ट के संचालन के लिए के लिए आवश्यक है।

राजेश कुमार सिंह



राजेश कुमार सिंह २१० स्वतः पूजा मोहन सिंह
बोकी-३९ दूरी बरौली प्रमोद

Trust Deed, 2006

(Handwritten signature)

Trust Deed, dated 10/12/11

बैधाना..... नि.शु. 100/- नकली 60/- योग 160/-
श्री पुत्र/पत्नी
परतः दिनांक 20/12/11
को 31/1/12

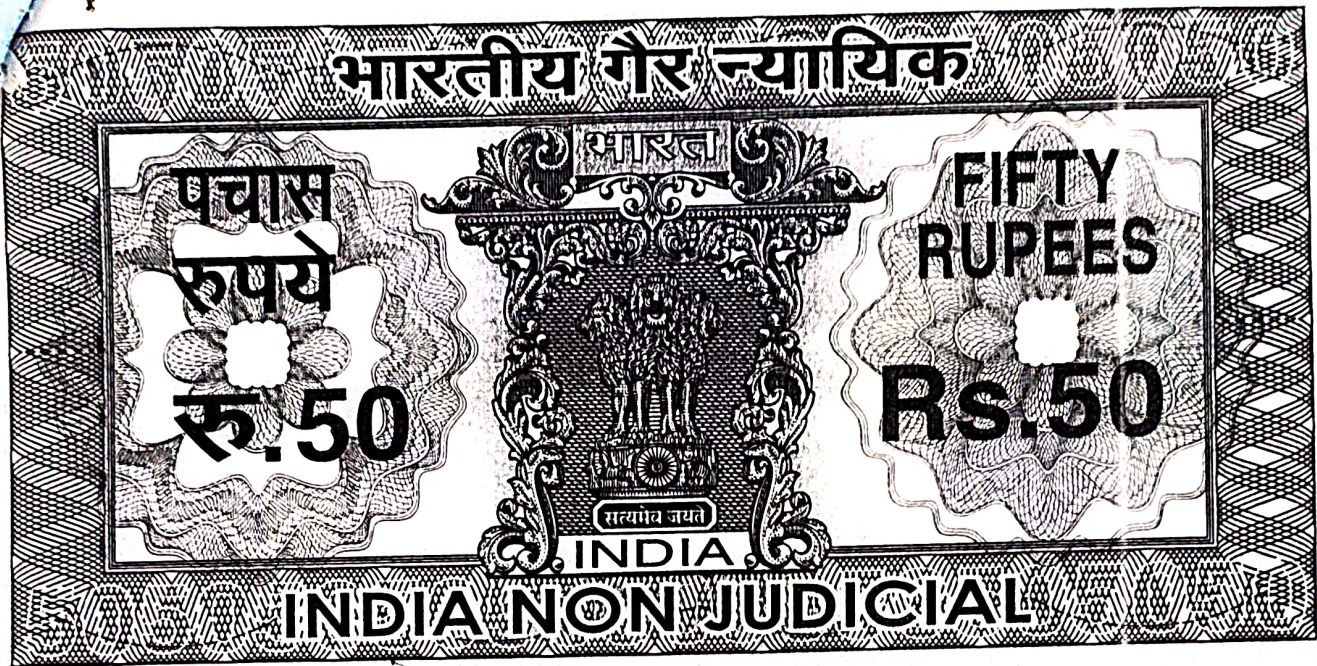
~~राजेश कुमार सिंह~~

21/10/11

[illegible]

ने स्वीकृत किया जिसकी प्रति श्री. रा. सु. कार.
 पु. श्री. रा. सु. कार. तह. ३०
 व. श्री. रा. सु. कार. तह. ३०
 जिला जौनपुर, तह. ३०

21/10/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 270748

(2)

और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। स्टर्लिंग एजुकेशनल ट्रस्ट मीरगंज जौनपुर ट्रस्ट, उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

3. ट्रस्ट न्यास का नाम-

स्टर्लिंग एजुकेशनल ट्रस्ट मीरगंज जौनपुर ट्रस्ट,

4. ट्रस्ट न्यास का स्थायी पता-

ग्राम-चौकीसुर्द,
पोस्ट-किशुनदासपुर, तहसील-मउलीशहर
जनपद-जौनपुर उत्तर प्रदेश

5. ट्रस्ट न्यास का कार्यक्षेत्र-

सम्पूर्ण भारत

6. ट्रस्ट निर्माता न्यासकर्ता -

राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व० श्री-वृजमोहन सिंह स्टर्लिंग एजुकेशनल ट्रस्ट मीरगंज जौनपुर।

7. न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम- राजेश कुमार सिंह (प्रबन्धक)

राजेश कुमार सिंह



2157
17-10-11

आम 2156

30 नवम्बर
[Signature]

राजेश कुमार सिंह

कल प्रकाश थापा

विजय कटार बिहारी



दिये गये हैं।

[Signature]
30 नव 0
21/11

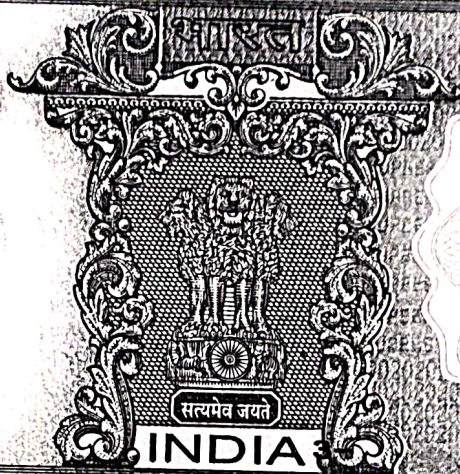
भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश न्यायिक दस्तावेज प्रमाणित व्यक्ति जो ट्रस्टी बनाये गये है। 13AA 768066

क्र. सं.	नाम ट्रस्टी	पिता /पति	पद	व्यवसाय	पता
1	राजेश कुमार सिंह	स्व0 वृजमोहन सिंह	प्रबन्धक	समाज सेवा	ग्राम-चौकीखुर्द पोस्ट-किशुनदासपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर, उ0प्र0
2	आशीष सिंह	स्व0 वृजमोहन सिंह	अध्यक्ष	व्यवसाय	ग्राम-चौकीखुर्द पोस्ट-किशुनदासपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर, उ0प्र0
3	अन्जना सिंह	पत्नी राजेश कुमार सिंह	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा	ग्राम-चौकीखुर्द पोस्ट-किशुनदासपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर, उ0प्र0
4	दिनेश सिंह	स्व0 वृजमोहन सिंह	सदस्य	व्यवसाय	ग्राम-चौकीखुर्द पोस्ट-किशुनदासपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर, उ0प्र0
5	जितेन्द्र प्रताप सिंह	स्व0 प्रभुशंकर सिंह	सदस्य	व्यवसाय	ग्राम-सकरा पोस्ट-रामपुर तहसील गड़ियाहूँ जनपद जौनपुर, उ0प्र0

नोट-उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार दो विधि सलाहकार एवं प्रवक्ता- एक, तथा 11 सदस्य, 21 पद संरक्षक नियुक्ति होंगे। इस प्रकार कुल सं-42 होगी एवं यही पद प्रत्येक ब्लाक, तहसील जिले एवं प्रान्त में होंगे सभी न्यासी अध्यक्ष न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्विकार करते है।

राजेश कुमार सिंह

2150
17-10-11

~~2150~~ 2156

20/10/11
~~2150~~ 2156
[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

13AA 768067

10. ट्रस्ट न्यास का स्वरूप-

यह ट्रस्ट एक स्वैच्छिक सामाजिक संगठन है जो जाति धर्म वर्ग सम्प्रदाय से ऊपर उठकर जनहित सर्व हिताय सर्व सुखाय के लिए कार्य करेगा।

11. लाभग्राही -

हिन्दू, सिख, बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगो को बिना किसी भेद भाव के सामान्य विकास अर्थात् मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह ट्रस्ट कार्य करेगा एवं सभी को समान लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगा।

12. हित ग्राही व्यक्ति -

ट्रस्ट न्यास द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमो के विकास में लोग कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

शेखर शर्मा

249
17-10-11

2000 246

20/11
[Signature]



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 768068

(5)

13 ट्रस्ट के उद्देश्य -

1.

समाज के सभी वर्गों एवं धर्मों के बालक बालिकाओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, विधिक एवं रोजगार परक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।

2.

समाज के सभी वर्गों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं उनका संचालन करना। तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।

राजेश कुमार

2160
17-10-11

2105-02156

20

[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

13AA 768069

3. देश एवं समाज की एकता एवं अखण्डता के लिए जन जागरण करना एवं सुयोग्य नागरिक बनाने में मदद करना ।
4. समाज के निर्बल असहाय एवं निर्धन परिवार के बच्चों की छात्रवृत्ति एवं अनुदान की व्यवस्था करना ।
5. बाल विवाह रोकने एवं विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता दिलाने का हर सम्भव कार्य करना । तथा परिवार कल्याण के लिए प्रचार प्रसार करना ।
6. शासन/प्रशासन में प्रत्येक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को उजागर करना तथा भ्रष्ट रिश्वतखोर व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कराना, पुलिस का भय आम जनता के मन से निकालकर सही ताल-मेल व सूझ बूझ ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है।

राधा कृष्ण

...
...
...
...
...
...

2161
17-10-11

21050 2156
Quill
...
...
...



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 768070

(7)

7. नवयुवको एवं शिक्षित बेरोजगारो को स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित करना एवं प्रशिक्षित करना ।
8. अपराधो, रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, अधिकारीगण लोक सेवको, दवंगो को पकड़वाकर सरकार/न्यायमलय द्वारा विधिक परिधि में नियमानुसार सजा दिलवाना ।
9. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को हर सम्भव सहायता दिलाने का कार्य करना ।
10. समाज के सभी वर्गों के असहाय निर्बल एवं गरीब लोगो को जीवन दायिनी दवाओं के निःशुल्क वितरण की व्यवस्था करना ।
11. किसानो को आधुनिक उत्तम खाद बीज एवं कृषि यन्त्रों की व्यवस्था कराने का कार्य करना तथा प्रशिक्षण शिविरों का संचालन करना ।

राजेश कुमार



2162

17-10-11

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2162

20

[Handwritten signature]

.....

.....

.....



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

सत्यमेव जयते
INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 768903

(8)

12. संस्था के एजेन्टो द्वारा तत्कारो माफियाओं को रंगे हाथो पकड़वाना और उसकी गुप्त सूचनाये महामहिम राष्ट्रपति, मा० प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, न्यायाधीश, लोक सभा अध्यक्ष व केन्द्र, सरकार के मंत्रालयों व प्रदेश के मा० मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल एवं सम्बन्धित सरकारी कार्यालयों को उपलब्ध कराना।
13. समाज में व्यवसायिक तकनीकी की शिक्षा कम्प्यूटर शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करना।
14. ग्रामीणान्धलो में अच्छी शिक्षा हेतु विद्यालयो शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
15. महिलाओं तथा समाज के निर्बल वर्ग के लोगो की आत्म निर्भरता के लिए घरेलू उद्योग धंधो को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

शक्ति कुमार सिंह

2163
17-10-11

2163
20

[Handwritten signature]

10/10/11
10/10/11



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 768904

(9)

16. सरकार द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जातियों जनजातियों अल्प संख्य को पिछड़े वर्ग के लोगो के लिए चलायी जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार में सरकार को पूर्ण सहयोग देना।
17. देश में स्वच्छ प्रशासन देने हेतु/लागू करने हेतु सरकार को सामाजिक सहयोग दिलाने का कार्य करना।
18. हेपेटाइटिस बी एवं एड्स जैसी बिमारियों के विषय में प्रचार प्रसार करना तथा रक्षा के उपाय टीकाकरण आदि करना तथा गरीबों के इलाज हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों आदि की स्थापना करना।
19. रोजगार के अधिक अवसर दिलाने हेतु तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रचार प्रसार का कार्य करना तथा विधिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
20. मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना एवं जरूरी कदम उठाना
21. विकलांग, मूकबधिर, नेत्रहीन बालक बालिकाओं हेतु विद्यालय का संचालन करना तथा आवास भोजन कपड़ा शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।

राजेश कुमार

2164
17 10-11

1944-45

21002456

20-

20-11-1941

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728

॥० को.अ.व.पु. २०००

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 768905

10-

22. बालिकाओं/महिलाओं के लिए कढ़ाई बुनाई हस्तकला चित्रकला एवं खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धित शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
23. दहेज उन्मूलन, नशा उन्मूलन का व्यापक प्रचार प्रसार करना।
24. जनसंख्या नियंत्रण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना उपाय करना तथा प्रचार प्रसार करना।
25. बंजर, ऊसर, क्षारीय, अम्लीय भूमि के सुधार का कार्यक्रम संचालित करना।
26. कृषि विविधीकरण, कृषि तकनीकी विकास, बीज विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रमों को संचालित करना।
27. अन्य वे सभी कार्य करना जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो।
28. सम्पूर्ण हिन्दू समाज की लोगों की जान-माल की सुरक्षा करना, पशु बध्द रोकना मुख्य उद्देश्य होगा।
29. सम्पूर्ण हिन्दू व सनातन धर्म की जमीन व मंदिर धर्मशाला का सुरक्षा प्रदान करना धर्मान्तरण रोकना सनातन धर्म का प्रचार करना ट्रस्ट का उद्देश्य होगा।
30. सम्पूर्ण भारत वर्ष में श्री रामजानकी शंकर भगवान ट्रस्ट का दान प्राप्त करना।
31. सम्पूर्ण भारत वर्ष में विभिन्न प्रकार के हिन्दू धर्म के मंदिर व जमीन को समाकेतिक करके ट्रस्ट लाभ पहुँचाने का उद्देश्य होगा। सम्पूर्ण हिन्दू शंकराचार्य व ऋषि मुनि साधुसंत ज्ञानियों को बुला कर प्रवचन सत्संग कराना और ट्रस्ट की ओर से समान देना ट्रस्ट का उद्देश्य होगा।
- 32- हिन्दू समाज के नागरिकों को प्रसाद व ठहरने की व्यवस्था एवं धार्मिक मेला पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था का प्रवन्ध तथा शक्ति प्रदान किया जाये।

श्री रामजानकी शंकर भगवान

2165
17-10-11

2165

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश, UTTAR PRADESH

13AA 768906

11-

33. भारत राष्ट्र पर किसी भी देश द्वारा किसी भी प्रकार जान-माल नुकसान पहुंचाने वालों को ट्रस्ट द्वारा भारत रक्षा हिन्दू सैनिक बनाकर मार खदेड़ने का उद्देश्य होगा।
34. किसी भी धर्म जाति के लावरिस मृतक के अंतिम संस्कार के लिए ट्रस्ट द्वारा चन्दा धनराशि इक्कठा प्राप्त करके उसका अंतिम संस्कार करवाने में योगदान होगा।
35. अन्य हिन्दू संगठनों एवं सस्थाओं से सहयोग लेना-देना ट्रस्ट का अधिकार होगा। धर्मशाला व सत्संग भवन एवं व्यवसायिक दुकान का निर्माण होगा।
14. **ट्रस्ट की सदस्यता** - ट्रस्ट की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार की होगी।
1. **संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धक** - ट्रस्ट पंजीकरण दस्तावेज में उल्लिखित समस्त संस्थापक ट्रस्टी ट्रस्ट के संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी होंगे जिन्हें किसी भी प्रकार के रिक्त ट्रस्टी को मनोनीत करने एवं ट्रस्ट के संचालन और नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। इन्हें अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का चयन करने का अधिकार होगा। उत्तराधिकारी का चयन न होने की स्थिति में जेष्ठपुत्र उत्तराधिकारी होगा। जिन्हें अपने पूर्ववर्ती की भौति समस्त अधिकार प्राप्त होंगे इनकी सदस्यता का अधिकार मृत्यु या स्वतः त्यागपत्र द्वारा ही समाप्त होगा। अन्य कोई धारा इन पर प्रभावी नहीं होगी।

रामेश कुमार सिंह



2166

17-10-11

2166-02156

20

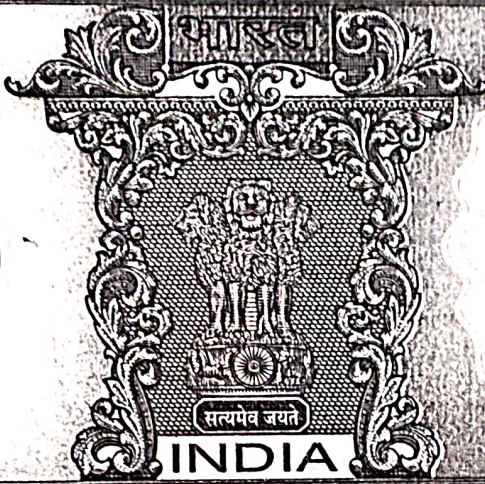
[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

12-

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3. सहयोगी ट्रस्टी -

राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री-वृजमोहन सिंह होंगे। इन्हें संस्थापक ट्रस्टी की तरह समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

जो व्यक्ति ट्रस्ट को एक हजार रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में देगा वह एक वर्ष के लिए सहयोगी ट्रस्टी होगा सहयोगी ट्रस्टी बनने के लिए मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक पदनाम से आवेदन करना होगा जिनकी स्वीकृति एवं हस्ताक्षरित रसीद ही विधिमान्य होगी।

15. ट्रस्ट की सदस्यता समाप्ति-

1. मृत्यु हो जाने पर
2. स्वतः त्यागपत्र देने पर
3. पागल या दीवालिया होने पर
4. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।

राजेश कुमार सिंह



2167
17-10-11

240-102156
20
Drully



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13-

6. कदाचार के गम्भीर मामलों में न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
7. ट्रस्ट विरोधी कार्य करने एवं अनुशासन हीनता के दण्ड स्वरूप।

13AA 768908

नोट-उपरोक्त उपबन्ध सिर्फ सहयोगी ट्रस्टियों के लिए मुख्य ट्रस्टी और संस्थापक/आजीवन ट्रस्टियों पर यह उपबन्ध लागू नहीं होगा।

16. संस्थापक/प्रबन्धक/आजीवन ट्रस्टियों के अधिकार कर्तव्य-

1. ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेना।
2. ट्रस्ट के द्वारा संचालित परियोजनाओं के संचालन में समितियों उप समितियों का गठन करना।
3. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियम, उपनियम बनाना, संशोधन करना तथा उनको क्रियान्वित करना।
4. ट्रस्ट के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृति प्रदान करना एवं ट्रस्ट का वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा स्वीकृत करना।
5. ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय पर अन्तिम निर्णय देना।

21/12/21 (Signature)

2168
17-10-11

2110702156
201

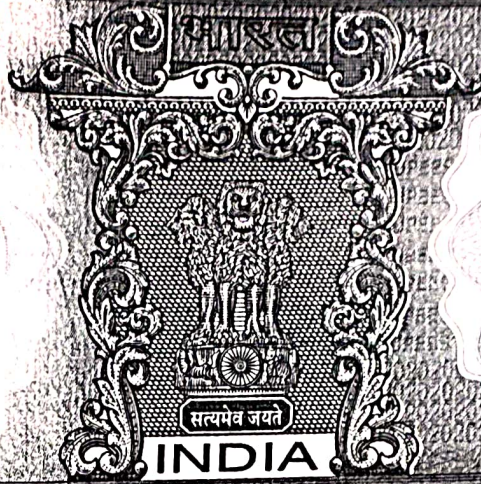
[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

(14)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 768909

6. अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का चयन करने का अधिकार
7. ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टियों की संख्या को प्रबन्धक /अध्यक्ष, आजीवन ट्रस्टियों द्वारा सर्व सम्मति से बढ़ाया जा सकता है।
8. अन्य वे सभी कार्य करना जो ट्रस्ट एवं समाज के हित में आवश्यक हो।
- नोट-संस्थापक आजीवन ट्रस्टी की रिक्तों की पूर्ति संस्थापक/आजीवन ट्रस्टियों के वंशानुक्रम से ही वैध मानी जाएगी।
17. मुख्य ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य-
1. मुख्य ट्रस्टी का मुख्य प्रशासनिक एवं कार्यकारी अधिकारी होगा एवं प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का पदेन प्रबन्धक होगा। वह अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी चयनित कर सकता है।
 2. ट्रस्ट के लिए दान अनुदान चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसके लिए यथा विधि रसीदे देना।
 3. ट्रस्ट की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।
 4. ट्रस्ट से सम्बन्धित लेखो विलेखो बिलो आदि पर हस्ताक्षर करना एवं उसे जारी करना।

राजेश कुमार

will be
to the
the
the
the
the
the

2169
17-10-11

210502156
20/10/11
R. M. S.
R. M. S.
R. M. S.



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश 5. ट्रस्ट के लिए चल अचल सम्पत्ति खरीदना बेचना रखना रखना
UTTAR PRADESH 3A-768910

अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्त करना
निष्काशेन करना व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये
प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या निरस्त करना।

6. ट्रस्ट द्वारा वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना वेतन
वेतनवृद्धि तथा अन्यदेय धनराशियों का भुगतान स्वीकृत करना
एवं वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही
निलम्बन एवं निष्कासन करना।

7. अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना एवं उसके लिए
प्रतिनिधि नियुक्त करना।

8. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों महाविद्यालयों एवं शिक्षण प्रशिक्षण
केन्द्रों का प्रबन्धक बनकर कार्य करना।

9. समस्त पत्राचार एवं वित्तीय नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग
करना एवं अन्य वे सभी कार्य जो विवाद का बिन्दु हो उसमें
अन्तिम एवं बाध्यकारी निर्णय देना।

श. ग. श. ४०११६

2176
17-10-11

.....
.....
.....
.....
.....

200702156

20

[Handwritten signature]

.....
.....
.....



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 769311

(16)

18. सहयोगी ट्रस्टी के अधिकार कर्तव्य-

1. ट्रस्ट एवं समाज की उन्नति के कार्य करना।
2. सामाजिक हित में अच्छे सुझाव देना।
3. मुख्य ट्रस्टी का सहयोग करना एवं मुख्य ट्रस्टी द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना।

19. ट्रस्ट की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति- ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष, तथा सदस्य होंगे।

20. ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य- ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी एवं ट्रस्ट के संचालन के लिए उत्तरदायी होगी।

21. ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. अध्यक्ष -
 - (1) सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
 - (2) किसी भी विचारणीय विषय पर समान मतदान होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।

शैलेखा गुप्ता नि

...
...
...
...
...

2171-10-11

2156
30
[Signature]

...
...

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17-

13AA 769312

- (3) बैठको के लिए प्रवन्धक की राय से तिथि का अनुमोदन करना।
- (4) बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम करना।
- (5) ट्रस्ट की कार्य योजनाओं का अनुमोदन करना।
- (6) ट्रस्ट के आय-व्यय का अनुमोदन करना।
- (7) ट्रस्ट के संचालन के लिए वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करना।
- (8) अन्य सभी अधिकारियों का प्रयोग करना जो नियमानुसार विधिमान्य हो।

2. उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार विधिमान्य हो।

3. प्रवन्धक -

1. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट का पदेन सचिव होगा एवं ट्रस्ट का मुख्य प्रशासनिक व कार्यकारी अधिकारी होगा।
2. ट्रस्ट के लिए अदान अनुदान चन्दा सदस्यता शुल्क आदि प्राप्त करना तथा उनके लिए यथा विधि रसीदें देना तथा लेखों विलेखों बिलों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।

राजेश कुमार



2172
17-10-11

2156
20
2156





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 769313

18-

3. बैठक की कार्यवाहियों की लिपिबद्ध करना।
4. ट्रस्ट के लिए चल अचल सम्पत्ति खरीदना, रेहन रखना ऋण लेना अनुदान लेना, एवं पदाधिकारियों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना उनको मनोनीत करना नियुक्त करना निष्कासन करना।
5. ट्रस्ट द्वारा वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्त करना वेतन वृद्धि तथा अन्यदेय, धनराशियों का भुगतान स्वीकृत करना एवं वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निलम्बन एवं निष्कासन करना।
6. अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना तथा उसके लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना।
7. समस्त पत्राचार एवं वित्तीय नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करना एवं उसके लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना।
8. ट्रस्ट से सम्बन्धित बैंक खातों का संचालन करना।
9. अन्य वे सभी कार्य जो ट्रस्ट एवं समाज के हित में आवश्यक हो।

श्री २३ अगस्त १९६६

2173
97-10-11

210570 2156
20
Amm



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13AA 769314

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19-

4. कोषाध्यक्ष

1. आय-व्यय का लेखा जोखा करना।
2. ट्रस्ट के आय-व्यय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. प्रबन्धक / अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलो का भुगतान करना।

22. विवादित स्थिति पर निर्णय-

ट्रस्ट में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों/मुख्य ट्रस्टी को ट्रस्ट के दस्तावेज के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे एवं वे ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

23. ट्रस्ट के रिकार्ड एवं अभिलेख-

एजेन्डा रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैसबुक लेजर बाउचर, फाइल रसीद वही, पासबुक, चेकबुक निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर वेतन भुगतान रजिस्टर एवं अन्य वे सभी कागजात जो ट्रस्ट के संचालन में आवश्यक होंगे ट्रस्ट के रिकार्ड एवं अभिलेख कहलायेंगे।

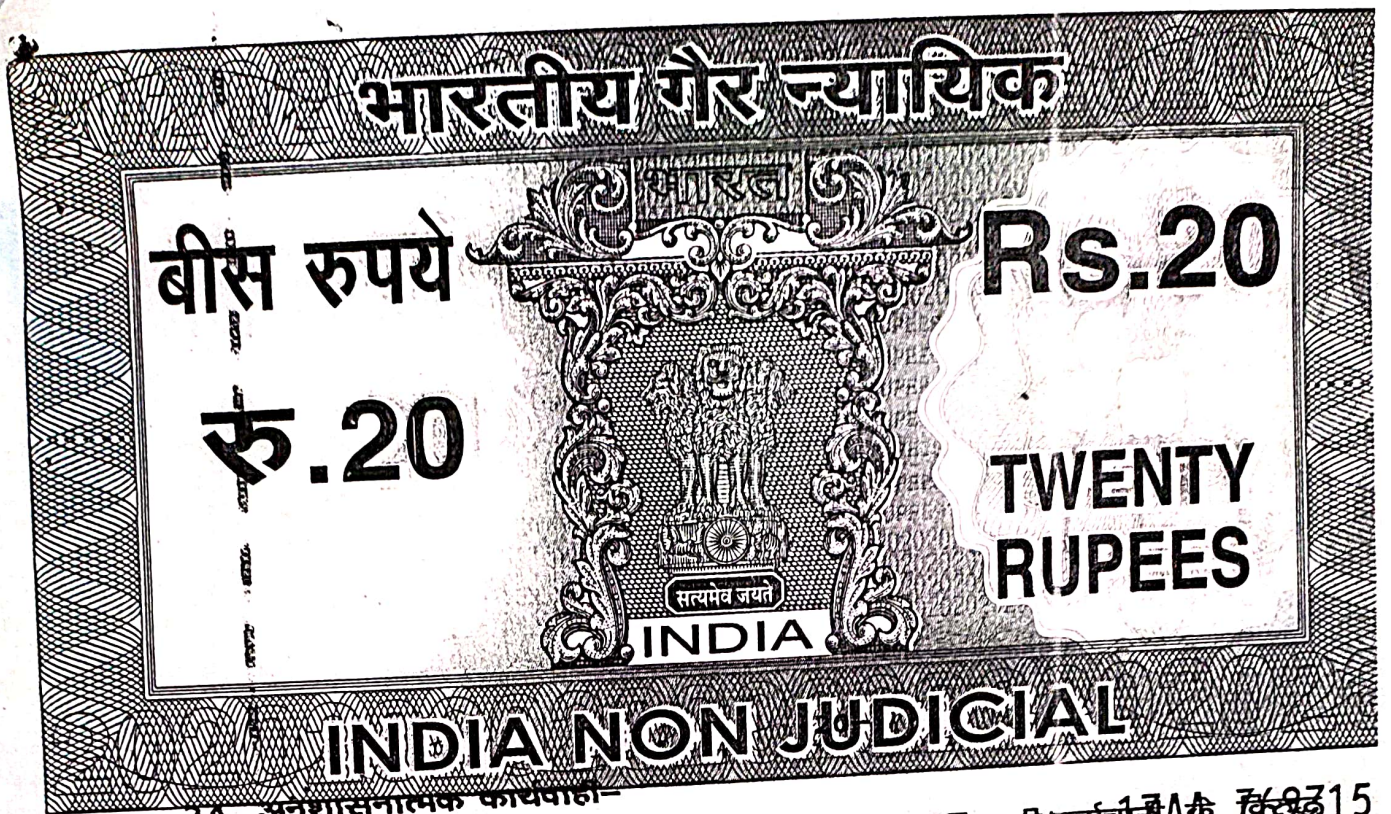
राजेश कुमार



2174
17-10-11

210570 2156
90
Dunne





24. अनुशासनात्मक कार्यवाही-
 उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH किसी भी प्रकार के पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध 15

अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय प्रबन्ध समिति करेगी। यदि प्रभावित व्यक्ति को उसके निर्णय से असंतोष होता है तो वह एक माह के अन्तर्गत मुख्य ट्रस्टी के यहां अपील कर सकता है संस्थापक ट्रस्टियों की सहमति से मुख्य ट्रस्टी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

25. नियमों विनियमों में संसोधन-

संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी सर्वसम्मति से या दो तिहाई बहुमत से ट्रस्ट के नियमों विनियमों में संसोधन कर सकते हैं।

26. विवाद तथा प्रतिवाद -

समस्त प्रकार के वादो तथा प्रतिवादो का न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय जौनपुर उत्तर प्रदेश रहेगा तथा ट्रस्ट द्वारा दूसरो पर या दूसरो द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद विवाद तथा प्रतिवाद ट्रस्ट के नाम से होंगे व्यक्तिगत नाम से नहीं ट्रस्ट इस प्रकार के वादो प्रतिवादो की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है। तथा अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त कर सकता है।

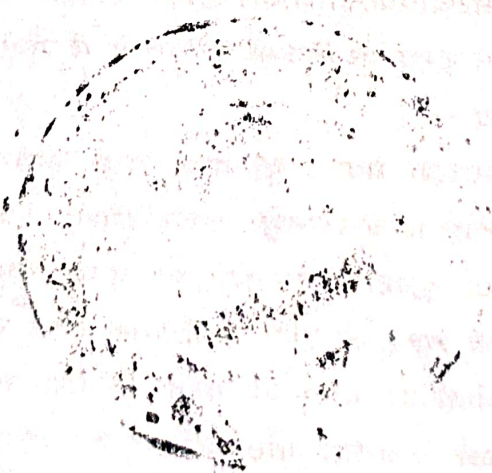
श.प. २७/७/२०१५



2175
17-10-11

20/10/11
[Signature]

10/10/11





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(21)

13AA 769316

27. परियोजनाओं के संचालन में ट्रस्ट की व्यापकता-

ट्रस्ट सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं एवं परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त जिले तहसील या ग्रामों में चलाई जायेगी।

28. पदों का सृजन-

ट्रस्ट आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकता है सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हें कार्य सौंप सकता है तथा जिसके लिए उन्हें यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता तथा यथा विधि पारिश्रमिक की भी व्यवस्था कर सकता है।

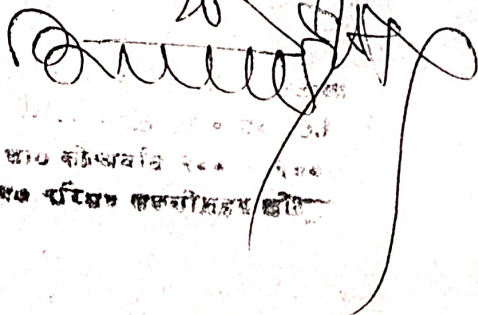
29. ट्रस्ट का कोष -

ट्रस्ट के कोष का संचालन किसी मान्यता प्राप्त/सरकारी बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोलकर किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

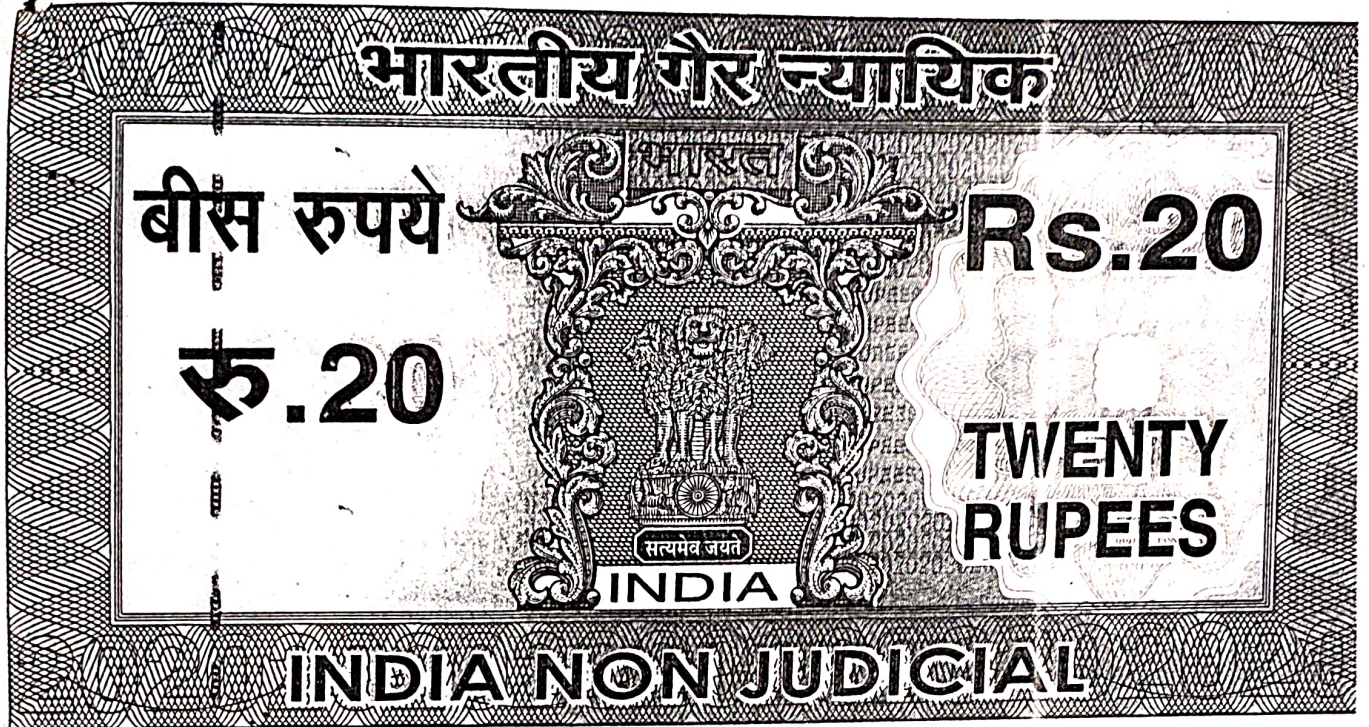
श्री १६६१/१०/११



2176
17-10-11

210502456
20

श्री ० कर्मचारी सेवा विभाग
२० अक्टूबर २०११





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 769317

(22)

30. ट्रस्ट न्यास की सम्पत्तिया -

स्टर्लिंग एजुकेशनल ट्रस्ट मीरगंज जौनपुर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दी गयी कुल 2100/- (द्विविंशस सौ रुपये) की चल सम्पत्ति है जिसे ट्रस्ट के नाम खाता खोलकर किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक में जमा किया जायेगा। जिसे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में लगाया जायेगा। सरकारी स्टाम्प मुबलिक 500/- पाँच सौ रुपये सरकारी मूल्यांकन के हिसाब से दिया जा रहा है और यह दस्तावेज रजिस्टर्ड कराया जा रहा है। यह दस्तावेज श्री-विजय बहादुर सिंह एडवोकेट तहसील मछलीशहर (पंजीयन संख्या-6174/03) द्वारा तैयार किया गया है।
टार्डपकर्ता-संदीप कुमार मीर (मछलीशहर तहसील के सामने जौनपुर)

गोबिन्द-चन्द्र प्रकाश यादव

पुत्र श्री. अनादित्य नारायण यादव

श्री चौकी करमा

परम विद्युत् अभियंता मधुबनी

2- विजय ०६/५२ जि. ६

२३/१०/२०२२

हस्ताक्षर न्यासकर्ता/मुख्य ट्रस्टी

संदीप कुमार मीर



2177
17-10-41

200702156

20

[Handwritten signature]



दि २२/१०/२२ अ० प्रि०

फिंजर प्रिंट्स

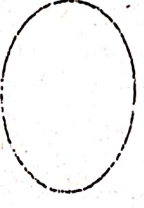
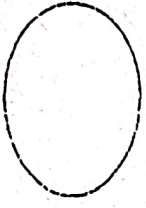
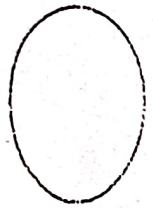
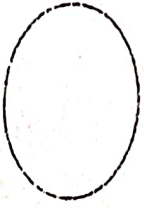
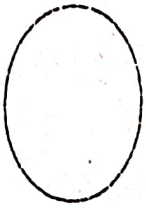
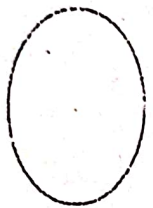
निम्न
बायाँ



दायाँ



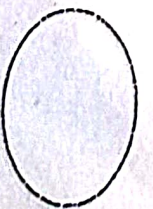
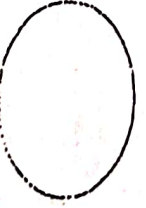
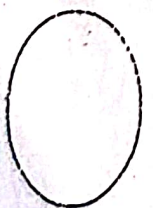
2



3



4



2011012011
IV 10
49
